

ନେମ୍ବୋ/୧୯୮୫/୨୦୧୮/ରୀଟ୍/ମୁଦ୍ରା

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प० ज्वालियर म०प० खण्डः पीठ रीवा

पूर्णो/ आर-



प्रियानन्द मिश्रा [प्रराल्ही] आत्मज स्व. रमाधार कर मिश्रा [प्रराल्ही] उम्री
लगभग ५० वर्ष पेसा खेती निंग्राम बरयाक्ला पक्कालय, थाना व तहसील
मुख्यांज, जिला रीवा [म०प०] - - - - - आवेदक/निगरानी

ठाम

निगरानी बिल्ड आदेश न्यायालय श्री मान् अपर
क्लेक्टर जिला रोपा १८०४० के प्र०५०/०१/मूल/
अ७४/२००८-०९ में पारित आदेश दिनांक ०६.०१.१८
॥ छ: जनवरी सन दो हजार अठारह ॥

महानुभाव, अन्य के अतिरिक्त, जो बक्त तर्क पेश किए जावेंगे, निगरा नीया चिक्का के आधार निम्नांकित है :—

- यह कि मानवीय बिद्यान अपर क्लेक्टर महोदय रीवा दारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक R.5985 - 2018 जिला - रीवा

शिवानन्द मिश्रा विरुद्ध उपायलाल कट्टाई

(1)	(2)	(3)
18-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्रीमति श्रील दास अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी क्लेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला - रीवा के प्रकरण क्रमांक ०१/गू.कृ.नं.५/०८-२०१ में पारित आदेश दिनांक ०६-०१-२०१८ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ०३-३-१९ को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	